इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 13 अंक संख्या: 1 अगस्त, 2020 पृष्ठों की संख्या 17

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 4
विनियामकों के कथन ----------5
बीमा ----------6
उत्पाद एवं गठजोड़ ---------- 7
नयी नियुक्तियाँ ----------7
विदेशी मुद्रा ----------7
शब्दावली----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- 9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------9
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ----------14
बाजार की खबरें ----------15

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों के लिए सरकार की विशेष चलनिधि योजना हेतु पात्रता मानदंड जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) तथा आवास वित्त कंपनियों (HFCs) के लिए उनकी चलनिधि स्थिति सुधारने और वित्तीय क्षेत्र को संभाव्य प्रणालीगत जोखिम से बचाने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित एक विशेष चलनिधि योजना हेतु पात्रता मानदंड और अन्य शर्तें निर्धारित कर दी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी निर्धारित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/आवास वित्त कंपनियों के जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR)/क्षमता मूल्य रेटिंग (CAR) 31 मार्च, 2019 के दिन क्रमश: 15% और 12% के विनियामक न्यूनतम स्तर से कम नहीं होने चाहिए तथा उनकी अनर्जक आस्तियां (NPAs) 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन कंपनियों को दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों अर्थात 2017-18 और 2018-19 में से कम से कम एक वर्ष में निवल लाभ अर्जित करने वाली होना चाहिए। उन्हें 1 अगस्त, 2018 से पहले पिछले एक वर्ष के दौरान किसी बैंक द्वारा उनकी उधार राशियों के लिए विशेष उल्लेख खाता (SMA)-1 अथवा विशेष उल्लेख खाता-2 के अधीन रिपोर्ट की गई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास पंजीकृत किसी साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी द्वारा निवेश श्रेणी के रूप में श्रेणी-निर्धारित होना चाहिए तथा उन्हें उस कंपनी/संस्था, जो वैकल्पिक/ऐच्छिक होगी, और जिसका निर्णय विशेष प्रयोजन संस्था

(SPV) द्वारा किया जाएगा, से संपार्श्विक के एक उपयुक्त स्तर हेतु विशेष प्रयोजन संस्था की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली होना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी

एसबीआई कैप (SBI Cap) ने इस परिचालन का प्रबंधन करने हेतु एसएल ट्रस्ट नामक विशेष प्रयोजन संस्था का गठन किया है। उक्त विशेष प्रयोजन संस्था उन पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/आवास वित्त कंपनियों से दस्तावेज़ (Paper) खरीद लेगी जो इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशियों का उपयोग केवल उनकी वर्तमान देयताओं का भार उतारने हेतु करेंगी। ये लिखत निवेश श्रेणी वाले वाणिज्यिक पत्र (CPs) और अपरिवर्तनीय डिबेंचर होंगे तथा ये तीन माह से अनधिक परिपक्वता वाले लिखत माने जाएंगे। हालांकि, इसप्रकार की सुविधा 30 सितंबर, 2020 के बाद जारी किए गए किसी भी दस्तावेज़/लिखत के लिए उपलब्ध नहीं होगी। विशेष प्रयोजन संस्था 30 सितंबर, 2020 के बाद ऐसी खरीदियाँ बंद कर देगी तथा वह समस्त देय/प्राप्य राशियों की वसूली 31 दिसंबर, 2920 तक अथवा बाद में इस योजना के अधीन यथा-आशोधित तिथि तक करेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को उचित आचरण संहिता अपनाने, वसूली एजेन्टों द्वारा उधारकर्ताओं को परेशान करना रोकने के निदेश दिये

भारतीय रिजर्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वसूली एजेंट उनके उधारकर्ताओं को परेशान न करें एक उचित आचरण संहिता तैयार करने के लिए कहा है। वसूली एजेन्टों की अनुचित कार्रवाइयों के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को उत्तरदाई ठहराया जाएगा, जिन्हें अपनी ओर से ग्राहक की गोपनीयता का भी सम्मान करना चाहिये । इसके भी अतिरिक्त, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बाहर से नियुक्त की गई एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबन्धित मुद्दों के साथ ही वसूली एजेन्टों से जुड़ी वास्तविक शिकायतों के तेजी से समाधान हेतु एक परिवाद निवारण व्यवस्था/तंत्र की स्थापना भी करनी चाहिये। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा एकत्रित की गई सूचना को गोपनीय रखा जाना होगा तथा उसमें किसी के साथ हिस्सेदारी नहीं की जानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अनिवार्य कर दिया है कि इसप्रकार की उचित आचरण संहिता बोर्ड द्वारा विहित रूप से

अनुमोदित होनी चाहिये और फर्मों को आस्तियों के अभिग्रहण में पारदर्शिता एवं भेदभाव-रहित प्रथाओं का आवश्यक रूप से पालन करना चाहिये।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को संशोधित मानदंडों के अनुसार पुनर्वर्गीकृत करें

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, अर्थात एमएसएमईज़ को सरकार द्वारा सूचित नए मानदंडों के अनुसार पण्यावर्त और संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के आधार पर पुनर्वर्गीकृत करने के लिए कहा है। पुनर्वर्गीकरण के खंडों के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण या पण्यावर्त अथवा दोनों में वृद्धिशील परिवर्तन होने और उनके फलस्वरूप पुनर्वर्गीकरण की स्थिति में कोई उद्यम पंजीकरण के वर्ष की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक अपनी प्रचलित स्थिति में ही बना रहेगा। इसके अलावा, किसी उद्यम में संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक न होने तथा पण्यावर्त के 5 करोड़ रुपए से अधिक न होने पर उस उद्यम को सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा। अब किसी उद्यम मे निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक न होने तथा पण्यावर्त के 50 करोड़ रुपए से अधिक न होने पर उस उद्यम को लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। मध्यम उद्यम के मामले में निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं तथा पण्यावर्त 250 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिये।

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रयोज्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में लेखा-परीक्षित लेखों को अंतिम रूप देने की समय-सीमा बढ़ाई

विद्यमान स्थिति को देखते हुए तथा विविध हितधारकों (stakeholders) से प्राप्त प्रति-सूचना के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक प्रयोज्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने तुलनपत्र को वह जिस तिथि से संबन्धित है उस तिथि अथवा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए जाने हेतु भारतीय

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथा-सूचित किसी तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप देना होगा।

विनियामकों के कथन

मूलभूत सुविधा वृद्धि के लिए शक्ति का गुणज

भारतीय उद्योग महापरिसंघ (CII) की राष्ट्रीय परिषद मुंबई को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास के भाषण का उद्धरण)

"भारत में पिछले पाँच वर्षों में देश में भौतिक मूलभूत सुविधा के संबंध में की गई प्रगति को एक गतिशील बदलाव से कम के रूप में हरगिज नहीं देखे जाने की जरूरत है। भारत में परिवहन की मूल विधि सड़क निर्माण 2015-16 में 17 किलोमीटर प्रति दिन से बढ़कर पिछले दो वर्षों में लगभग 29 किलोमीटर हो गया है। हवाई अड्डे /विमान स्थल से संयोजकता के संबंध में वैश्विक आर्थिक मंच (डबल्यूईएफ़) की वैश्विक स्पर्धात्मकता रिपोर्ट, 2019 में 141 देशों में भारत का 4था स्थान था। दूरसंचार में भारत में फरवरी, 2020 के अंत में समग्र टेली-सघनता (प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या) 87.7 प्रतिशत थी। कुल व्यापक बैंड कनेकशनों में लगभग 10 गुणा वृद्धि हुई जो 2014 के 610 से बढ़कर फरवरी, 2020 में 6811 लाख हो गए जिससे इन्टरनेट यातायात में व्यापक विस्तार संभव हुआ। अब भारत मासिक डाटा उपभोग में वैश्विक रूप से अग्रणी बन गया है जिसमें 2019 के अंत में प्रति अभिदाता प्रति माह औसत उपभोग 2014 के 62 एमबी से 168 गुणा बढ़कर 2019 में 10.4 जीबी तक पहुँच गया। डाटा की लागत में भी कमी आई है जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक कम है। इससे करोड़ों नागरिकों की इन्टरनेट तक वहनीय पहुँच हुई।

नौवहन उद्योग में पोतों के भारतीय पत्तनों तक पहुँचने में लगाने वाला समय, जो पत्तनों की कार्यकुशलता का संकेतक होता है, वर्ष 2012-13 के 102.0 घंटे से बढ़कर 2018-19 में 59.5 घंटे हो गया। जहां तक रेलवे का संबंध है, 2019-20 में लगभग 562 किलोमीटर की ट्रैक लंबाई के समावेश वाली 15 महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की गईं और 2019-20 में कुल 5782 रूट किलोमीटर का रेल विद्युतीकरण कार्य भी पूरा

किया गया। भारत ने शहरी व्यापक परिवहन के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं में भी प्रभावी वृद्धि दर्ज की है।

इस प्रगति के बावजूद मूलभूत सुविधा में अंतर विशाल ही बना हुआ है। नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार 2030 तक मूलभूत सुविधा में देश को लगभग 4.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर के निवेश की आवश्यकता होगी। मूलभूत सुविधा के लिए वित्तीयन के विकल्पों के संबंध में मूलभूत सुविधा के प्रति बैंकों के अतिशय एक्सपोजर के परिणामों से हम अभी बाहर ही निकल रहे हैं। बैंकों द्वारा मूलभूत सुविधा उधार से संबन्धित अनर्जक आस्तियां अभी तक उच्च स्तरों पर बनी हुई हैं। स्पष्ट रूप से वित्तीयन के विकल्पों को विविधीकृत किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय निवेश और मूलभूत सुविधा निधि (NIIF) का गठन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक नीतिगत कार्रवाई है। कारपोरेट बांड बाजार का प्रवर्तन , दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या के प्रति बाजार पर आधारित समाधान बढ़ाने के लिए प्रतिभूतिकरण और उपयुक्त मूल्य-निर्धारण तथा प्रयोक्ता प्रभारों की वसूली को नीतिगत संकेन्द्रण में प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए।"

बीमा

इर्डाई पैनल महामारी जोखिम समूह के गठन की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा

विद्यमान वैश्विक महामारी से पैदा होने वाली बीमा से संबन्धित समस्याओं की पृष्ठभूमि में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इसप्रकार की स्थितियों से पैदा होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए एक समूह (पूल) गठित किए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु एक कार्य दल का गठन किया है। उक्त पैनल आठ सप्ताहों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कोविड-19 प्रेरित लाकडाउन से व्यवसायों में भारी हानियाँ दर्ज हुई हैं, किन्तु कंपनियाँ हरजाने का दावा नहीं कर पाईं, क्योंकि उनकी बीमा सुरक्षा में संपत्ति को क्षति से हानि का समावेश नहीं था, जो व्यवसाय में रुकावट से हानियों में लाभ की हानि खंड को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक है। बीमाकर्ता यह मत व्यक्त करते हैं कि किसी वैश्विक महामारी मे व्यवसाय में रुकावट से होने वाली हानियों को रोकने का एकमात्र मार्ग है पूल का गठन।

कोविड-19 उपचार के लिए नकदी-रहित सुविधा सुनिश्चित करें

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि पालिसीधारक कोविड-19 के उन अस्पतालों में उपचार हेतु नकदी-रहित सुविधा के पात्र हैं जिन्होंने बीमाकर्ताओं और अन्य पक्ष संचालकों के साथ सेवा-स्तरीय करार कर रखा है। उसने बीमाकर्ताओं को उनके पास सूचीबद्ध सभी नेटवर्क-प्रदाताओं (अस्पतालों) में नकदी-रहित सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया है। पालिसीधारकों को नकदी-रहित सुविधा देने से इनकार करने वाले तथा सेवा-स्तरीय करारों की शर्तों से विचलित होने वाले अस्पतालों के विरुद्ध बीमाकर्ताओं को समुचित कार्रवाई करनी होगी। अस्पतालों द्वारा पालिसीधारकों को इसप्रकार की सुविधा देने से इनकर किए जाने पर बीमित बीमा कंपनी को एक औपचारिक शिकायत भेज सकता है।

उत्पाद एवं गठजोड़

गठजोड़ का नाम	उद्देश्य
करूर वैश्या बैंक और स्टार हेल्थ एल्लाइड इंश्योरेंस	उसके ग्राहकों को अधिक व्यापक श्रेणी वाले स्वास्थ्य बीमा विकल्प उपलब्ध कराना

नयी नियुक्तियाँ

पदाधिकारी का नाम	पदनाम
श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक
श्री रमेश बाबू बोददू	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, करूर वैश्या बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	24 जुलाई, 2020 के दिन बिलियन रुपए	24 जुलाई, 2020 के दिन मिलियन अमरीकी डालर

कुल प्रारक्षित निधियाँ	3910859	522630
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3595444	480482
(ख) सोना	270134	36100
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10953	1,464
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	34328	4585

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अगस्त, 2020 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.23100	0.19900	0.20800	0.22800	0.27400
जीबीपी	0.08360	0.1058	0.1058	0.1262	0.1505
यूरो	-0.40000	-0.428	-0.428	-0.418	-0.406
जापानी येन	-0.02000	-0.033	-0.041	-0.045	-0.045
कनाडाई डालर	0.82000	0.555	0.600	0.658	0.711
आस्ट्रेलियाई डालर	0.14000	0.186	0.219	0.310	0.376
स्विस फ्रैंक	-0.64250	-0.661	-0.646	-0.611	-0.574
डैनिश क्रोन	-0.08980	-0.1500	-0.1685	-0.1705	-0.1630
न्यूजीलैंड डालर	0.27500	0.230	0.233	0.260	0.313
स्वीडिश क्रोन	0.01000	0.026	0.049	0.670	0.100
सिंगापुर डालर	0.24500	0.275	0.324	0.413	0.470
हांगकांग डालर	0.52000	0.520	0.540	0.570	0.610
म्यामार	1.88000	1.870	1.890	1.980	2.080

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ARCs)

ऋणों को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर खरीद लेती है और उन ऋणों अथवा

उनसे जुड़ी प्रतिभूतियों को स्वयम वसूल करने का प्रयास करती है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ या एआरसीज भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन पंजीकृत होती हैं तथा वे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेयसी अधिनियम, 2002) के अधीन विनियमित होती हैं। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ बैंक के ऋणों के एक ऐसे हिस्से को अधिगृहीत कर लेती हैं जो अनर्जक आस्तियों के रूप में निर्धारित किए जाने के योग्य होता है।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

निवेश वापसी अवधि (Payback period)

निवेश वापसी अवधि से अभिप्राय है किसी निवेश की लागत वसूल करने में लगने वाला समय। दूसरे शब्दों में निवेश वापसी अवधि समय की वह लंबाई होती है जब कोई निवेश लाभ-अलाभ बिन्दु पर पहुंचता है। किसी निवेश की वांछनीयता उसकी निवेश वापसी अवधि से सीधे संबन्धित होती है। छोटी निवेश वापसी अवधियों से तात्पर्य है अधिक आकर्षक निवेश।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त, 2020 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	12 से 14 अगस्त, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
व्यापार वित्त हेतु कार्यक्रम	17 से 18 अगस्त, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

परोक्ष रूप से निरीक्षित (Remote proctored) परीक्षाएँ

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स को परोक्ष रूप से निरीक्षित ऐसी परीक्षाएँ आरंभ किए जाने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है जिनमें अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान की जाती है। ये परीक्षाएँ एक दिन में तीन सत्रों में संचालित की जाएंगी । सत्रों का समय प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, 12.45 बजे से अपरान्ह 2.45 बजे तक और 3.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक है। अभ्यर्थी अपनी पसंद की परीक्षा तिथियों एवं समय का चयन कर सकते हैं।

पंजीकरण पहले आए पहले पाये आधार पर किया जाएगा। हम अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वे निराशा से बचने के लिए यथाशीघ्र पंजीकरण करा लें।

विस्तृत अनुदेशों, परीक्षा के कार्यक्रम, नियमों एवं विनियमों के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें :

https ://// www.iibf.org.in/documents/pdf//20200713-website%20schedule%for%20RPE%20Aug-Sept-2020.pdf

साधारण सदास्यों के लिए पंजीकरण लिंक
https://iibf.esdsconnect.com/Register/examlist/?Extype=Mg==&Mtype=Tw==

सदस्येतर अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण लिंक
https://iibf.esdsconnect.com/nonreg/examlist/?Extype=Mg==&type=Tk0=

9वें उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम अगस्त, 2020 की शुरुआत

संस्थान द्वारा उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के 9वें बैच का उदघाटन 8 अगस्त, 2020 को प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक श्री सुनील मेहता। भारतभर के 19 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से मध्यम प्रबंधन और वरिष्ठ प्रबंधन संवर्ग से 57 सहभागियों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया था।

उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों/कार्यपालकों के लिए एक प्रबंधन पाठ्यक्रम है। यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों से संबन्धित लगभग 8 माह का एक ऐसा व्यापक प्रबंधन पाठ्यक्रम है जिसमें संसाधन संग्रहण, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ऋण प्रबंधन एवं निगरानी, खजाना प्रबंधन, व्यवसाय/कारबार विश्लेषण, एकीकृत जोखिम प्रबंधन आदि पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुये तथा समय के अनुरूप चलने के लिए अगस्त 2020 से प्रारम्भ होने वाले उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम का संचालन संकर विधि से किया जाएगा। इस माडेल में जहां व्याख्यान सत्रों का संचालन प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा (VCRT) वाली विधि से किया जाएगा, वहीं इसमें दो अनिवार्य निमज्जन (immersion) कार्यक्रम होंगे, जिनमें से एक आईआईएम कोलकाता में और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के मुंबई स्थित कारपोरेट सेंटर में आयोजित होगा। इसप्रकार, देश के किसी भी स्थान में रहने वाले अभ्यर्थी अपने घरों में बैठे-बैठे सप्ताहांत में इस कार्यक्रम में शामिल होने में समर्थ होंगे। इस कार्यक्रम के सत्रों में पूरे देश से विशेषज्ञ संकाय सदस्य व्याख्यान देने हेतु उपलब्ध रहेंगे। .

लाकडाउन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा विशेष पहलकदमी

लाकडाउन को देखते हुये संस्थान 17 मई, 2020 तक भौतिक रूप से बंद है। तथापि, इसके कर्मचारियों ने घर से काम करना जारी रखा है तथा वे यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण गतिविधियां जारी रहें। संस्थान ने अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना (BCP) लागू कर रखी है। लगभग 10,000 प्रमाणपत्र डिजिटल विधि से हस्ताक्षरित किए और भेजे गए हैं, उसके सभी प्रकाशन आदि डिजिटल विधि से जारी किए जा रहे हैं।

संस्थान ने बैंकिंग एवं वित्त व्यावसायिकों के लिए कुछेक विशेष आनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की भी पहल की है। निम्नलिखित सुविधाएं तीन माह के लिए लागत-रहित उपलब्ध कराई गई है:

- **जेएआईआईबी (3 विषयों), सीएआईआईबी (2 विषयों), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा कारबार संपर्कियों के लिए वीडियो व्याख्यान।**

- **जेएआईआईबी (3 विषयों), सीएआईआईबी (2 विषयों) और ऋण प्रबंधन के लिए ई-शिक्षण।**

जहां सभी विषयों के लिए वीडियो व्याख्यान संस्थान के यू ट्यूब पृष्ठ पर पहले से ही उपलब्ध हैं, वहीं ई-शिक्षण की सुविधा 31 जुलाई, 2020 को समाप्त होने वाले 3 माह के लिए उन्हीं लोगों को उपलब्ध होगी, जो पंजीकृत हैं।

संस्थान ने कुछेक प्रकार के जोखिमों और बासेल ई दिशानिर्देशों, मूल व्युत्पन्नी (derivative**) उत्पादों, डिजिटल प्रौद्योगिकियों में नयी घटनाओं और भुगतान प्रणालियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्तीयन जैसे समसामयिक विषयों पर कुछेक आनलाइन सत्रों का आयोजन भी किया है। संस्थान को उसके द्वारा की गई उपर्युक्त विशेष पहलकदमियों में काफी अच्छी संख्या में पंजीकरण एवं सहभागिता परिलक्षित हुई है।**

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC**) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय**
(SPPU**) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय (**UGC- Consortium for academic and Research Ethics**) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (**CPE**), में जर्नलों के वि0श्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।**

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) **ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक** http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf **देखें।**

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance**) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।**

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in **देखें।**

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

हमारे तिमाही जर्नल "बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुयें हैं :

- **जुलाई-सितंबर, 2020 - नान बैंकिंग फाइनैन्सियल कंपनीज़, सिस्टेमिक रिस्क ऐंड इंटरकनेक्टेडनेस अमंग फाइनैन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स**

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा
जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) **संस्थान द्वारा फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।**

(ii) **संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।**

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारित औसत मांग दरे

5.
4.8
4.6
4.4
4.2
4.
3.8
3.6
3.4
3.2

फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूजलेटर जुलाई, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

100
95
90
85
80 शृंखला 1
75 शृंखला 2
70 शृंखला 3
65 शृंखला 4
60

फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020
स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

7.1
6.9
6.7
6.5
6.3
६।१
5.9

जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2020

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

41000.00
39000.00
37000.00
35000.00
33000.00
31000.00
29000.00
27000.00

फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5

जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम जूलाई, 2020

डा. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डा. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

आईआईबीएफ विजन अगस्त, 2020